Regd. No. 185

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO)
Website : www.hcta.in

Dr. Narender Chahar
President
Vaish College, Bhiwani
Mob. : 098133-26900
Email: narenderchahar11@gamil.com

Dr. Ravinder Gasso
General Secretary
D.A.V. College, Pundri (Kaithal)
Mob. : 094161-10679
Email: gassoravinder@gamil.com

Ref. No. HCTA/10/13 Dated 23.10.13

सेवा में,

श्री एस. एस. प्रसाद जी,
आई.ए.एस.,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।

विषय : एडिड-कॉलेज शिक्षकों की मांगों सम्बन्धी।

श्री मान जी,

हम सरकारी सहायता प्राप्त (एडिड) कॉलेजों के शिक्षक सरकार की सकारात्मक नीतियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

आपकी सदभावना व सदाशयता के लिए भी हम कृतज्ञ हैं। एडिड कॉलेज शिक्षकों के निम्न मुद्दों पर हम आपकी सहायता चाहते हैं।

1. जनवरी 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू **नई पैंशन योजना (Defined Contributary Pension Scheme) के लिए मैचिंग ग्रांट जारी करने की फाईल** वित्त विभाग के पास निर्देशालय द्वारा भेजी जानी है। पता चला है कि यह फाईल संख्या 4612 दिनांक 01.10.2013 को आपके अनुमोदनार्थ आई हुई है।

   इस पैंशन स्कीम के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मैचिंग ग्रांट का मसला अपके सकारात्मक हस्ताक्षेप से ही हल होगा।

2. एम. फिल. की योग्यता के आधार पर जनवरी 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को **एम.फिल.की दो एडवांस-इंक्रीमेंट** मिलनी है। ये शिक्षक एम.फिल. की डी.एम.सी. (DMC) के आधार पर नियुक्त हुए थे। वित्त-विभाग इन्क्रीमैंट लगाने के लिए डिग्री की शर्त लगा रहा है जबकि एम.फिल. की डी.एम.सी. (DMC) ही फाईनल-रिजल्ट होता है। डिग्री जारी करना महज औपचारिकता रह जाती है। निदेशालय की भी यही राय है कि **एम.फिल. की एडवांस इन्क्रीमेंट के लिए डिग्री की शर्त बेमानी व गैर कानूनी है।** कृपया वित्त विभाग को फिर से फाईल भेजकर यह मामला ठीक करवाया जाए।

3. कॉलेज शिक्षकों के लिए सैमिनार/कान्फ्रैंस/वर्कशाप इत्यादी में जाने के लिए साल में 30 अकादमिक/डयूटी लिव का प्रावधान करने की कृपा करें। API के कारण तो इसकी और भी ज्यादा अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

4. व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (Comprehensive Medical Security Scheme)

पिछले कई वर्षों से हम सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की तर्ज़ पर सरकार से एडिड कॉलेजों में भी यह स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं 09 दिसम्बर 2008 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एच-फुक्टो द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उदारतापूर्वक इस स्कीम को एडिड कॉलेजों के लिए लागू करने की घोषणा की थी। सरकार इस मांग पर विचार कर रही है आपके सकारात्मक-सक्रिय हस्तक्षेप से ही हमारी इस चिरलम्बित मांग पूरी हो सकती है। (सम्बन्धित पत्र संलग्न है)

सधन्यवाद।

आदर सहित

रविन्द्र गासो

Regd. No. 185

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO)
Website : www.hcta.in

Dr. Narender Chahar
President
Vaish College, Bhiwani
Mob. : 098133-26900
Email: narenderchahar11@gamil.com

Dr. Ravinder Gasso
General Secretary
D.A.V. College, Pundri (Kaithal)
Mob. : 094161-10679
Email: gassoravinder@gamil.com

Ref. No. HCTA/10/13

Dated 23.10.13

सेवा में,

श्री एस. एस. प्रसाद जी,
आई.ए.एस.,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।

विषय : **कॉलेजों में प्राचार्य पद की नियुक्ति हेतु 19 सितम्बर 1991 से पहले सनात्कोत्तर, पीएच.डी. धारक शिक्षकों को 5% की छूट सम्बन्धी।**

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि

1. यू.जी.सी. ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं व सेवा-स्थितियों सम्बन्धी 30.06.2011 की अधिसूचना संख्या F-3-1/2009 के बिन्दू 3.5.0 में 19 सितम्बर 1991 से पहले सनात्कोत्तर डिग्री-प्राप्त, पीएच.-डी. उपाधि-धारक शिक्षकों को सनात्कोत्तर में 55% की न्यूनतम योग्यता में 5% की छूट का प्रावधान एसिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर व कॉलेज-प्राचार्य पद के लिए अर्थात् सभी स्तरों की नियुक्ति हेतु किया है। (पत्र संलग्न)
2. जबकि हरियाणा सरकार की तत्सम्बन्धी 19.07.2011 की अधिसूचना संख्या KW-7/18-2009C-IV(3) में **उपर्युक्त छूट का प्रावधान केवल मात्र एसिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम योग्यता में ही अंकित है।**
3. यह कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना में **उपर्युक्त छूट का प्रावधान एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर व कॉलेज-प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए भी यह अंकित होना चाहिए था।**

अतः आपसे निवेदन है कि किसी भी कॉलेज में प्राचार्य पद को विज्ञापित करने से पूर्व उपर्युक्त छूट का प्रावधान किया जाए।

सधन्यवाद।

आदर सहित

रविन्द्र गासो